



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 22.11.2022

1- थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.11.2022 को थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त अरुण पुत्र प्रेमकुमार निवासी ग्राम कुंजलपुर थाना अतरौली जिला अलीगढ़ वर्तमान पता बाबू पण्डित का मकान ग्राम नवादा सेक्टर 62 थाना सेक्टर 58 नोएडा को सेक्टर 63 ए में बाबा गैस्ट हाउस के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सेक्टर 63 पर मु0अ0सं0 458/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरण:

अरुण पुत्र प्रेमकुमार निवासी ग्राम कुंजलपुर थाना अतरौली जिला अलीगढ़ वर्तमान पता बाबू पण्डित का मकान ग्राम नवादा सेक्टर 62 थाना सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0 458/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 315/2022 धारा 380 भादवि0 थाना सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 347/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 348/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर।



#कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है गहन कार्यवाही।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में सेंट्रल ज़ोन गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह राठोर द्वारा गहन पैरवी के परिणाम स्वरूप माफियां अनिल दुजाना को सीजेएम गौतमबुद्धनगर ने 03 वर्ष के कारावास एवं 20,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में सेंट्रल ज़ोन गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह राठोर द्वारा माफियाओं व अपराधियों के विरुद्ध लगातार गहन पैरवी की जा रही है। गहन पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 22.11.2022 को गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह राठोर द्वारा गहन पैरवी के परिणाम स्वरूप माफियां अनिल दुजाना को सीजेएम कोर्ट गौतमबुद्धनगर ने वाद संख्या 59522/2022 मु0अ0स0 267/11 धारा 174ए भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष के कारावास एवं 20,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड जमा ना करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी जिला कारागार अयोध्या में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है। अभियुक्त अनिल दुजाना चिन्हित माफिया है जिस पर लूट/हत्या आदि के 40 से अधिक मुकदमें पंजीकृत है।

दिनांक 24.08.2011 को वादी ने थाना बादलपुर पर मु0अ0स0 169/11 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया था जिसमें माफिया अनिल दुजाना वांछित चल रहा था जिसमें न्यायालय द्वारा 82-83 के अंतर्गत कार्यवाही भी पूरी की जा चुकी थी परंतु अभियुक्त न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ जिसमें कार्यवाही करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 267/2011 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया।

गैंगलीडर अनिल दुजाना का संक्षिप्त विवरण – गैंग लीडर अनिल दुजाना पुत्र चतरू उर्फ चतर सिंह नि0 ग्राम दुजाना थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर का मूल निवासी है जिसके द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2002 में थाना सैक्टर 20 के मु0अ0सं0 849/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट में जेल गया था। तभी से इसके द्वारा गैंग बनाकर लूट , हत्या व फिरौती की घटनाओ को अंजाम दिया जा रहा है एवं अपराध निरन्तर किया जा रहा है। जनपद व अन्य जनपदो एवं अन्य राज्यों में भी इसके द्वारा अपराध कारित किया गया है जिसमें इसके विरुद्ध लगभग 50 अभियोग पंजीकृत है।

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।